राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग

बीमा भवन, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः प.1(8) रि.टा.बे./व्य.एवंप./प्रा.नि./2021/1077 दिनांक 14.10.2021

परिपत्र

राज्य सरकार की बजट घोषणा 249 की अनुपालना एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के प्रभावी हो जाने पर सामान्य प्रावधायी निधि के आहरण स्वीकृति की स्वचालित प्रक्रिया विभागीय जिला कार्यालयों में दिनांक 13.10.2021 से प्रारम्भ की जा चुकी है। स्वचालित प्रक्रिया के तहत अंशदाताओ द्वारा प्रावधायी निधि के आहरण हेतु आवेदन किये जाने पर रियल टाईम बेसिस पर **ऑटो पेमेन्ट आर्डर** जारी होकर पे-मैनेजर के माध्यम से आवेदको के बैंक खातों में स्वीकृत आहरण राशि जमा का प्रावधान है।

उक्त स्वचालित भुगतान प्रक्रिया के तहत अभिदाता वित्तिय वर्ष के प्रारंभ पर अपने जीपीएफ खाते से जमा राशि का सेवाकाल के आधार पर निम्नानुसार आहरण करने का पात्र होगा-

क्र. सं.	सेवाकाल	आहरण प्रतिशत
1.	5 वर्ष से 15 वर्ष तक की सेवा पर	10 प्रतिशत
2.	15 वर्ष से अधिक किन्तु 25 वर्ष से कम सेवा पर	30 प्रतिशत
3.	25 वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्ष से कम सेवा पर	40 प्रतिशत
4.	30 वर्ष से अधिक सेवा पर (अधिकतम)	50 प्रतिशत

जीपीएफ आहरण की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगीः-

1. अभिदाता अपने एसएसओ आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर SIPF Portal (New) पर क्लिक करे।
2. एसआईपीएफ पोर्टल (New) के डेशबोर्ड पर उपलब्ध जीपीएफ में Click for GPF Transaction के बटन पर क्लिक करें।
3. इसके पश्चात Withdrawal के बॉक्स को क्लिक करने पर निम्न दो विकल्प प्राप्त होंगे :-
   Auto Process (As Per Service)
   Manual Process
4. Auto Process (As Per Service) विकल्प का चयन करने पर सेवाकाल के आधार पर Eligible Amount प्रदर्शित होगा (अधिकतम 50 प्रतिशत), जिसे पूर्णांक राशि में Withdrawal Amount में फीड करना है तथा Next बटन पर क्लिक करने पर बैंक डिटेल प्रदर्शित होगी, जो

20

कि कार्मिक के पे–मैनेजर में उपलब्ध वेतन की बैंक डिटेल है। उसके पश्चात Validate के बटन पर क्लिक करना है।

5. यदि कार्मिक Manual Process का विकल्प लेता है तो Reason for Withdrawal का चयन करने के पश्चात अधिकतम 75 प्रतिशत एवं अभिदाता की की सेवानिवृति से 60 माह अथवा उससे कम सेवावधि शेष रहने पर 90 प्रतिशत Eligible Amount प्रदर्शित होगी। जिसे पूर्णांक राशि में Withdrawal Amount में फीड करना है। Next बटन पर क्लिक करने पर बैंक डिटेल प्रदर्शित होगी, जिसकी आवश्यक रूप से जांच करें। यदि बैंक डिटेल में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो पे–मैनेजर पर सही करवाना होगा, तत्पश्चात एसआईपीएफ पोर्टल पर बैंक डिटेल स्वतः सही हो जायेगी।
6. Next बटन पर क्लिक करने पर Documents की स्क्रीन पर उपल्बध Validate के बटन पर क्लिक करना है।
7. बिन्दु संख्या 4 अथवा 5 में उल्लेखित किसी एक विकल्प का प्रयोग करने के पश्चात Submit with Aadhar/Janadhar में से किसी एक का प्रयोग करें तथा रजिस्टर्ड मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त होने पर ओटीपी सबमिशन करें।
8. एसआईपीएफ पोर्टल पर Auto Process (As Per Service) विकल्प की स्थिति में Payment Initiate पर क्लिक करने पर है तथा Manual Process विकल्प की स्थिति में सीधे ही Successfull का मैसेज प्रदर्शित होगा।
9. उपरोक्त समस्त प्रक्रिया के उपरान्त जीपीएफ की आहरित राशि कार्मिक के बैंक खातें में जमा हो जावेगी।
10. एसआईपीएफ न्यू पॉर्टल पर स्वचालित प्रक्रिया के तहत भुगतान Initiate होने पर जिला कार्यालयों द्वारा भुगतान की जांच की जावेगी। भुगतान प्रकरण में तत्काल ओ.बी., सी.बी. का मिलान किया जायेगा। किसी प्रकार की विसंगति होने पर तत्काल उसका निराकरण किया जाकर आवश्यक होने पर मुख्यालय के ध्यान में लाया जायेगा।

(रामपाल परसोया)
अतिरिक्त निदेशक (पीएफ)

क्रमांकः प.1(8) रि.टा.बे./व्य.एवंप./प्रा.नि./2021/ 1078-1147 दिनांक 14.10.2021

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय मुख्यालय जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय/साधारण बीमा निधि जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, संभागीय कार्यालय।
5. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला कार्यालय।

अतिरिक्त निदेशक (पीएफ)